न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2023 ::
उनवान नरेन्द्र बनाम राजस्थान सरकार

नरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश उम्र करीबन 52 साल जाति दर्जी निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

– प्रार्थी

बनाम

भू–धारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत

निर्णय दिनांक 05/1/24

प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई तहसील अंराई जिला अजमेर (राज.) मे स्थित है जिसके खसरा संख्या 3788/2928 रकबा 1.6180 हैक्टैयर है, उक्त कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि पर जोत हेतु आने जाने बाबत रेकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही है इस कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि काश्त करने हेतु ,निराई गुडाई करने जाने, कृषि यंत्र लाने ले में काफी बाधा, रूकावट, व्यवधान होता है। प्रार्थी कृर्षि की उपज भी लाने ले जाने में आये दिन परेशान होना पडता है इस कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर काश्त करने हेतु रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता होने से न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि के लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की ग्राम अरांई स्थित सरकारी भूमि खसरा संख्या 2928 रकबा 9.2388 हैक्टैयर है जो प्रार्थी के खेत से लगायत है तथा प्रार्थी पूर्व में इसी से अपनी कृषि भूमि पर आता जाता रहा है। लेकिन उपरोक्त खसरा संख्या में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण आये दिन प्रार्थी को परेशानी ,व्यवधान, रूकावट का सामना करना पडता है। प्रार्थी उसी स्थान से रेकार्डेड रास्ता 30 फीट चौडा प्राप्त करना चाहता है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी भाग में दर्शाया गया है। उक्त नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का भाग माना जाकर प्रार्थना पत्र के साथ पढा जावें। उपरोक्त खसरा संख्या 2928 में से जो भूमि रास्ते में आयेगी प्रार्थी डी.एल.सी. दर के अनुसार उसका भुगतान अप्रार्थी को करने के लिये तत्पर एंव तैयार है। प्रार्थी के पास उपरोक्त खसरा संख्या 3788/2928 में आने जाने के रास्ते के अलावा वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त खसरा नम्बर में से ही निकटतम से निकटतम रेकार्डेड सड़क मार्ग से जोड़ने वाला रास्ता ... दिनांक 29.09.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 के ... तथा तहसीलदार अराई को मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार अरांई को ... दिनांक 27.10.2023 को तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें तहसीलदार अराई ने जाहिर किया कि वर्तमान सेग्रीकेशन जमाबंदी के अनुसार ग्राम अरांई में खसरा संख्या 3788/2928 स्थित है जो भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी के खसरे तक आवागमन के लिये खसरा संख्या 2928 के अतिरिक्त कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी सिवायचक खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.22 10:27:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

928 से संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी से होकर आ जा रहा है। ग्राम अराई की ूमि सरकारी भूमि है। तथा प्रार्थी को अपनी जोत खसरा संख्या 3788/2928 में कृषि कार्य हेतु ...न के लिये रास्ता संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार दिया जावेगा, जो निकटतम है। प्रस्तावित 30 रास्ते हेतु रकबा 0.0900 हैक्टैयर बनता है जिसका मूल्य वर्तमान डी.एल.सी. दर 254876 रूपये प्रति ...यर के अनुसार 22939/— अक्षरे बाईस हजार नौ सौ उनतालिस हजार रू बनता है।

...रे द्वारा तहसीलदार अराई की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया चूंकि प्रार्थी को कृषि कार्य के आवागमन ...ु मार्ग की आवश्यकता है तथा राज.का. अधि. की धारा 251क के तहत 30 फीट तक चौडा रास्ता दिया जा सकता है ना कि 30 फीट ही रास्ता दिया जाना आवश्यक है। चूंकि प्रार्थी द्वारा सिवायचक भूमि में से रास्ता चाहा गया है अतः कृषि उपयोग को मध्येनजर रखते हुये 15 फीट रास्ता समुचित प्रतीत होने पर तहसीलदार अरांई को पुनः 15 फीट के रास्ते के प्रस्ताव हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 05.01.2024 को तहसीलदार अरांई द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसमें तहसीलदार अरांई द्वारा जाहिर किया गया कि यदि प्रार्थी को 15 फीट रास्ता दिया जाता है तो 15 फीट रास्ते हेतु 0.0450 हैक्टैयर रकबा अधिगृहित किया जायेगा जिसका मूल्य वर्तमान डी.एल.सी. दर 254876 रूपये प्रति हैक्टैयर के अनुसार 11470/— अक्षरे ग्यारह हजार चार सौ सत्तर रू बनता है।

दिनांक 05.01.2024 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रा.पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वकील प्रार्थी की बहस तथा तहसीलदार अरांई की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि.1955 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि वे 15 फीट रास्ते हेतु अधिगृहित की जाने वाली भूमि की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर के दुगुने का प्रतिकर राशि 22940/— अक्षरे बाइस हजार नौ सौ चालीस रू. मात्र प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डी.डी. तहसीलदार अरांई के नाम प्रस्तुत करने के पश्चात् मौका रिपोर्ट क्रमांक 21 दिनांक 03.01.2024 के अनुसार ग्राम अरांई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 3788/2928 में आवागमन के लिये ग्राम अरांई स्थित भूमि खसरा संख्या 2928 रकबा 9.2388 हैक्टेयर में से 15 फीट चौडे रास्ते अनुरूप 0.0450 हैक्टैयर भूमि अधिग्रहित कर अधिग्रहित भूमि की 15 फीट चौडे रास्ते हेतु संलग्न मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शानुसार तरमीम करे तथा अधिग्रहित भूमि के नवीन खसरा संख्या बनाते हुये भूमि को उसी खाते में पूर्व की भांति रखकर किस्म गै. मु. रास्ता सिवायचक दर्ज करें। तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम निर्णय का भाग रहेगी।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05/1/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.22 10:27:00 IST
Reason: SelfAttested